रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 1985/श्रावण 3, 1907
No. 148] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 1985/SRAVANA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जन, 1985

स. 6/4/85-डीबीए-II.—केन्द्र सरकार, भूतपूर्व औद्योगिक विकास विभाग में भारत सरकार के समय-समय पर यथा संशोधित की गई दिनांक 26 अगस्त,

1971 की अधिसूचना सं. एफ० 7(15)/71 आई. सी. में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करती है :—

2. "प्रारम्भ और अवधि" शीर्ष के अंतर्गत पैरा 2 में विद्यमान पैरा के पश्चात् निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाए :—

"योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1986 तक एक वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिए बढ़ायी जाती है।"

3. उद्योग रहित जिलों के वर्ग "क", वर्ग "ख" और वर्ग "ग" के जिलों की सूची में भी दिनांक 1-4-1985 से निम्नलिखित योग/विलोपन किया जाता है :—

राज्य	निम्नलिखित में योग		निम्नलिखित में विलोपन	
	वर्ग	जिला	वर्ग	जिला
राजस्थान	"क" (उद्योग रहित जिला)	1. बाड़मेर 2. चुरू	"ग" "ख"	1. बाड़मेर 2. चुरू
महाराष्ट्र	"क" (उद्योग रहित जिला)	गाडचिरोली	—	—

4. वर्ग "क" में सम्मिलित पहाड़ी जिलों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से वर्ग "क" के अंतर्गत आने वाले पहाड़ी जिलों में स्थापित इलेक्ट्रानिक उद्योगों के मामले में केन्द्रीय निवेश राजसहायता की अधिकतम सीमा 25 लाख रु. से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की दर पर 50 लाख रुपये कर दी गई है।

जी. वेंकटरमणन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 1985

No. 6/4/85-DBA-II.—The Central Government makes the following further amendment in the Notification of the Government of

India in the late Ministry of Industrial Development No. F. 7(15)/71-IC, dated the 26th August, 1971 as amended from time to time:—

2. In para 2 under the heading "Commencement and Duration", the following may be added after the existing para:—

"The scheme is further extended for a period of one year with effect from 1st April, 1985 to 31st March, 1986."

3. The following additions/deletions to the list of No-Industry Districts in Category 'A', Category 'B' and Category 'C' Districts shall also be made with effect from 1-4-1985:—

	Addition to		Deletion from	
State	Category	District	Category	District
Rajasthan	'A' (No-Industry District)	1. Barmer	'C'	1. Barmer
		2. Churu	'B'	2. Churu
Maharashtra	'A' (No-Industry District)	Gadchiroli	—	—

4. With a view to encourage establishment of electronics industries in the Hill districts included in Category 'A', the maximum ceiling of Central Investment Subsidy has been raised from Rs. 25 lakhs to Rs. 50 lakhs at the rate of 25% in case of electronics industries set up in Hill Districts in Category 'A'.

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985